रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

नव वर्ष मंगलमय हो
BEH

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –1 ● कानपुर 1 से 15 जनवरी 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

पंजीयन मुद्दे से पूरे प्रदेश में सरगर्मी शुरू

- पंजीयन मुद्दे से पूरे प्रदेश में उत्साह
- प्रदेश में पैदा हुई सरगर्मी
- विरोधी भी पशोपेश में
- नहीं देते बन रहा कोई जवाब
- समस्या का यही था स्थायी हल
- बोर्ड की गतिविधि रंग लायी।

प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के सामने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का मामला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है यद्यपि प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त आधार है इस हेतु बक़ायदा 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग – 6 द्वारा शासनादेश भी जारी किया जा चुका है इसके अनुपालन के लिए प्रदेश के महानिदेशक द्वारा निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं बावजूद इसके प्रदेश के कुछ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के पंजीकरण के मामले को जानबूझ कर लटकाया जा रहा था परिणाम स्वरूप प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों को चिकित्सा करने में कुछ असहजता महसूस होती थी यद्यपि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने अपने चिकित्सकों को यह निर्देश दे रखा है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन अवश्य करना है, कुछ चिकित्सकों ने आवेदन की प्रक्रिया भी अपनायी लेकिन अभी तक जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सार्थक रूख तो अपनाया गया, लेकिन भाव उपेक्षा का है बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करवाने के लिए शासन से सम्पर्क किया इसका परिणाम यह हुआ कि शासन की सक्रियता इस विषय पर बढ़ी और सकारात्मक कार्यवाही के संकेत भी मिलने लगे।

इस सुखद समाचार को हमने जैसे ही प्रसारित किया पूरे प्रदेश में लोगों के बीच सरगर्मी फैल गयी और लोग आपस में यह जानकारी लेने लगे कि क्या ऐसा होगा ?आज स्थिति यह है कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रतिवेदन पर जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के पंजीयन के सम्बन्ध में है शासन ने पत्र व्यवहार शुरू कर दिया और लगातार सकारात्मक गति से आगे बढ़ रहा है।

हमें अपेक्षा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 2016 इस मामले में मील का पत्थर साबित होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के पंजीयन के सम्बन्ध में शासन का स्पष्ट निर्देश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक नई दिशा देगा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे चिकित्सकों को पंजीयन के लिए आवेदन करना ही होगा आज पंजीयन ही हमारे चिकित्सकों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी इस समस्या का समाधान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का स्थायी हल है ऐसे लोग जो लगातार पंजीयन का विरोध कर रहे थे और पंजीयन के सन्दर्भ में तरह–तरह के तर्क दे रहे थे वे इस समाचार से स्तब्ध हैं

चूंकि प्रदेश का अधिकांश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक संगठन इस बात की कतई आशा नहीं रखता था कि प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन होगा। ख़ैर जो उनकी सोच थी वह उनकी सोच है आज परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है धीरे–धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति मज़बूत होती जा रही है लेकिन हमारे चिकित्सकों का भी कर्तत्व है कि मात्र अधिकार प्राप्त करने से काम नहीं होता अधिकारों के बाद व्यक्ति को अपने कर्तव्य करने ही पड़ते हैं, जो चिकित्सक अधिकारों और कर्तव्यों में भेद रखते हैं उनकी सफलता सदैव संदिग्ध रहती है। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिस गति के साथ आगे बढ़ रही है वह उसके उज्जवल भविष्य का स्पष्ट संकेत दे रही है पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में उहापोह की स्थिति चल रही थी एक पक्ष जो अधिकार प्राप्त है वह लगातार चिकित्सकों के मध्य यह संदेश भेजने का प्रयास कर रहा है कि यदि वैधानिक रूप से चिकित्सा व्यवसाय करना है तो अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करें और जिस तरह से अन्य मान्यता प्राप्त पद्धतियों के चिकित्सक शासकीय निर्देशों का पालन करते हैं ठीक उसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक भी सरकारी निर्देशों का पालन करें हम इसे स्वीकार करने में कतई नहीं हिचकते हैं कि इतने आदेश होने के उपरान्त भी बहुत सारे मुख्य चिकित्साधिकारी अस्पष्ट निर्देश का बहाना बनाकर इलेक्ट्रो होम्योपैथों के साथ उपेक्षा का रवैया अपनाते रहे हैं लेकिन बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रयासों से धीरे–धीरे यह स्थिति बदल रही है और पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति साम्य हो रही है।

वर्ष 2015 का यह प्रयास निश्चित तौर पर वर्ष 2016 में रंग लायेगा, समय ज़रूर लग रहा है लेकिन जो कुछ भी आयेगा वह सुखद और अच्छा ही होगा। यह हम इतने विश्वास से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने जिस दिशा में काम किया है वह दिशा सार्थक रास्ते पर ही जाती है अभी भी जो लोग पंजीयन का विरोध करते हैं उनको वास्तविकता समझनी चाहिये और पंजीयन का विरोध छोड़कर चिकित्सकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहिये यद्यपि यह इतना आसान नहीं है लोग आसानी से स्वीकार कर लें यह भी सम्भव नहीं है लेकिन सच्चाई और वास्तविकता स्वीकार करनी ही पड़ती है और आज की सच्चाई यही है कि चिकित्सकों का पंजीयन हो इसमें जरा भी भ्रम पैदा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो लोग मान्यता की मांग कर रहे हैं वह इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि कल जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल जायेगी तब सभी चिकित्सकों को पंजीयन का आवेदन करना ही पड़ेगा।

तब अस्तु , किन्तु , परन्तु के लिए कोई स्थान नहीं होगा, यही अन्तिम सत्य है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी 150 वर्ष की हुई

किसी व्यक्ति की उम्र यदि इस युग में 150 वर्ष की हो जाये लोग उसे बड़े उत्साह से देखते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसने कई पीढ़ियां देख डाली लेकिन साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि इतनी लम्बी उम्र तक इनकी क्रियाशीलता वाक़ई क़ाबिलेतारीफ़ है लेकिन जब कोई चिकित्सा पद्धति 150 वर्ष का लम्बा समय पूरा करती है तो यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि यह पद्धति कितनी उपयोगी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जन्म सन् 1865 में हुआ था इसके जन्मदाता थे डा0 काउण्ट सीज़र मैटी, डा0 मैटी ने जनकल्याण की भावना से इस पद्धति का आविष्कार किया था जो कल की तुलना में आज ज़्यादा उपयोगी व प्रभावी है। यह किसी को निश्चित ज्ञात नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार महात्मा मैटी द्वारा किस तिथि को किया गया इसलिए आविष्कार के वर्ष 1865 के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं और डेढ़ सौ वर्ष की इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अभिवादन करने को तैयार हैं, इन 150 वर्षों के जीवनकाल में तमाम उतार चढ़ाव देखे, इटली से चलकर भारत आने में लगभग 15–20 वर्ष लगे, भारत वर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आगमन 1880 से 85 के बीच प्रमाण प्राप्त होते हैं लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सर्वाधिक विकास भारत वर्ष में ही हुआ है और भारत वर्ष के ही चिकित्सकों द्वारा इस पद्धति का प्रसार विश्व के अन्य देशो में हुआ है। वर्तमान में लगभग 60 देशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचलित होने की जानकारियां मिलती हैं, शायद यह भारत वर्ष के लोगों का सौभाग्य है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सालय जो फादर मुलर द्वारा बनवाया गया जिसके निमार्ण हेतु मैटी द्वारा अनुदान भी दिया गया जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अवधारण का जीता जागता प्रमाण है वह कनकनैडी, मंगलौर(कर्नाटक) में आज भी

शेष अंतिम पेज पर

नये वर्ष का करें स्वागत

हर 365 दिन बीत जाने के बाद नया वर्ष आता है यह क्रम लगातार चल रहा है और जब तक धरती है और धरती पर जीवन है यह क्रम चलता ही रहेगा। हर समाज हर व्यक्ति अपने आने वाले समय के लिए यह कामना करता है कि वह अच्छा और सुन्दर हो, हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी इसी समाज के प्राणी हैं इसलिए हमारी कामनायें भी कुछ इसी तरह की होती हैं। लेकिन वर्ष दर वर्ष बीतते जा रहे हैं और इन गुज़रे हुए वर्षों का जब हम आत्मावलोकन करते हैं तो हम कितना चले ?क्या खोया और क्या पाया ?तो शायद खुद को ही सहज नहीं रख पाते हैं, वर्ष 2015 एक सुखद अनुभूति के साथ प्रारम्भ हुआ था हर एक के मन में यह भाव था कि शायद वर्ष 2015 कुछ ऐसी खुशियां लेकर आयेगा जिसका इन्तज़ार वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथ कर रहे हैं, हुआ भी ऐसा, वर्ष के पहले ही महीने में 22 जनवरी को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के शपथ पत्र पर यह निर्णय देकर कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान पर कोई रोक नहीं है इस पर कोई टिप्पणी न देकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बल प्रदान किया था। सारे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस आदेश से आल्हादित थे हर तरफ़ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी जिसको जैसा मन चाहा उसने इस आदेश को अपने मनमाफिक ढंग से प्रस्तुत किया।

हद तो तब हो गयी जब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कुछ अवसरवादियों द्वारा न्यायालयों में ढाल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, परिणाम जो हुए सर्वविदित है हम इस विषय पर न जाते हुए इतना ही लिखना चाहते हैं कि वर्ष का प्रारम्भ जिस अच्छे तरीके से हुआ था शायद उस अच्छाई को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कर्ता–धर्ता स्थिर नहीं रख पाये। इस आदेश के बाद पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करवाने के लिए तरह–तरह के प्रयास प्रारम्भ हो गये जो संस्थायें मृत प्राय हो गयी थीं उनको इस आदेश से एक संजीवनी सी मिल गयी लेकिन अर्ध सत्य कभी स्थायी नहीं होता है इस आदेश के साथ भी यही हुआ पूरे देश में सम्मेलनों और कार्यकर्ताओं को जागृत करने का कार्य लोगों द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया कुछ ऐसे तत्व भी थे जिन्होंने अपने–अपने हिसाब से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के असफ़ल प्रयास किये। कौन कितने प्रतिशत सफ़ल रहा ?इसपर नहीं जाना चाहिये फल यह जरूर मिला कि एक बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी फिर खेमों में बंटती नज़र आयी, इसे हम एक अच्छा संकेत नहीं मानते हैं। हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथ है फिर संस्था के प्रति समर्पित, संस्था के प्रति समपर्ण और त्याग होना चाहिये लेकिन संस्था हित के आगे पद्धति का हित गौण नहीं होना चाहिये । यदि हम पूरे वर्ष के क्रियाकलापों पर एक दृष्टि डालें तो यह बात स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती है कि व्यक्तिगत हित ! पद्धति हित पर भारी पड़ रहे हैं !! यदि हम अभी भी इन छोटी–छोटी बातों से कुछ सीख ले लें तो पद्धति के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। इस वर्ष लोगों में जागरूकता आयी है हमारे चिकित्सक अपने अधिकारों के प्रति सजग भी हुए हैं लेकिन यह जागरूकता और सजगता सिर्फ़ ऊपर–ऊपर दिखायी पड़ रही है। यर्थाथ के धरातल पर वास्तविक रूप से जागरूकता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम सब आशावादी हैं कभी भी निराश नहीं होते बल्कि गुज़रे समय से प्रेरणा लेकर आने वाले समय के लिए योजनायें बनाते हैं, सम्भावनायें कभी खत्म नहीं होती हैं प्रतिदिन प्रतिपल व प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है कब किस क्षण कौन सी नई सम्भावना जन्म ले ले यह हमें स्वयं भी पता नहीं होता है लेकिन एक कर्मयोगी की भाँति बिना विचलित हुए अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ लगे रहना ही हमारी नियति है क्या खोया क्या पाया ?इस पर व्यर्थ का समय नष्ट न करके गुज़रे हुए वर्ष के अच्छे और सकारात्मक पलों को स्वीकारते हुए एक नई योजना के साथ हम सब नये वर्ष में प्रवेश करें

अधिकारों के प्रति जागरूकता आवश्यक

वह समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, प्रगति के लिए अधिकारों को जानना और प्राप्त अधिकारों का भरपूर उपयोग करना आवश्यक होता है जब तक हम अपने प्राप्त अधिकारों के बारे में स्पष्टता और विस्तार से नहीं समझते हैं तब तक हम कभी भी पूर्णतः को प्राप्त नहीं कर सकते।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विडम्बना है कि इस चिकित्सा पद्धति में अपने अधिकारों के प्रति सजगता दूर की कौड़ी है आज से कुछ वर्षों पीछे यदि हम अपने मन को ले जाते हैं तो पाते हैं कि हम सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ किस तरह अपने गौरवशाली अतीत पर इतराते थे और यही गौरव गाथा कहते हुए नहीं थकते थे, इसी गौरव गाथा के साथ–साथ अधिकारिता की लड़ाई भी लड़ते थे। इस लडाई में बहुत सारे साथी जुड़े कुछ साथ चल रहे हैं, कुछ थक कर रूक गये कुछों ने दिशा बदल ली और जो अस्थिर मस्तिष्क के थे वे आज पद्धति के ज़बरदस्त दुष्प्रचारक हैं अगर इन लोगों ने अधिकारों के प्रति ज़रा भी जागरूकता दिखायी होती तो आज का दृश्य बदला हुआ होता !

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लड़ाई एक लम्बी लड़ाई है कुछ पल या कुछ वर्षों में यह लड़ाई समाप्त नहीं होती पहले अधिकार पाने की लड़ाई फिर प्राप्त अधिकारों को अपने हिस्से में बांटने की लड़ाई, फिर अधिकारों की अपने अपने स्तर से समीक्षा कर उस पर टिप्पणी की लड़ाई, यह सबकुछ ठीक रहा तो पद्धति को स्थापित करने की लड़ाई, फिर स्थापित होने के बाद चिकित्सकों के मन में ऊर्जा भरने की लड़ाई, कार्य करवाने की लड़ाई, इन सब लड़ाईयों को पार करते हुए प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के बराबर अपनी क्षमता प्रदर्शित करने की लड़ाई। यदि हम लड़ाई की बात करें तो इसकी एक बड़ी लम्बी श्रंखला है हमें एक–एक कड़ी को धीरे–धीरे पार करना है यहां पर लड़ाई से तात्पर्य परस्पर युद्ध से नहीं है बल्कि लड़ाई का शाब्दिक अर्थ यह है सफ़लता पाने के लिए किये जा रहे प्रयास, जो लोग यह कहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सफ़ल नहीं है उन्हें खुद आत्मविश्लेषण करना चाहिये कि सफ़लता के लिए उन्होंने कितने प्रयास किये हैं ?हम सब के सब अपेक्षा तो करते हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम जिनसे अपेक्षा कर रहे हैं उनकी कसौटी पर हम कितना खरा उतर रहे हैं ? अधिकार की मांग तो सभी करते हैं लेकिन प्राप्त अधिकारों को अपने कर्तव्यों के द्वारा ही धरातल पर समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है इन दायित्वों का हम कितना निर्वाहन कर रहे हैं ?यह उत्तर हमें स्वयं से लेना होगा अक्सर लोग अधिकार न होने का बहाना बनाकर कार्य से मुहं मोड़ लेते हैं लेकिन प्राप्त अधिकारों के प्रति हम कितने सजग हैं इसका जीता जागता उदाहरण इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का अभीयान है उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले सभी यह चिकित्सक यह बात भलीभाँति जानते हैं कि यदि हमें वैधानिक रूप से चिकित्सा व्यवसाय करना है तो निश्चित अर्हता के साथ साथ मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन करना आवश्यक है। वर्ष 2004 से प्रारम्भ हुए इस अभियान को इलेक्ट्रो होम्योपैथों ने कितनी गम्भीरता से लिया इस पर टिप्पणी करना यहां उचित न होगा। पहले हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के साथी यह तर्क देते थे कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इसलिए पंजीयन हम कैसे कराये ? लेकिन 21 जून, 2011 का एतिहासिक राष्ट्रीय आदेश व 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की एक मात्र विधि सम्मत ढंग से स्थापित इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्था बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी कर पूरे प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान कर दिया था।

यह अधिकार उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को गुज़रे ज़माने की बात बताते थे। जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त हो गयी तो यह इसका नैतिक दायित्व था कि प्रदेश में प्रचलित अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों की भांति इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक भी अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करते कुछ महीने तो हमने इन्तज़ार किया कि शायद हमारे चिकित्सक अपने अधिकारों को समझ गये होगें और अपने दायित्वों का निर्वाहन करेंगे परन्तु हमारी सोच गलत निकली हमारे चिकित्सक हमारी कसौटी पर खरे नहीं उतरे जबकि इस जागरूकता के लिए बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश व्यापी चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान सघन रूप से चलाया गया मण्डलों और जनपदों में जा–जा कर चिकित्सकों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि अब आप अधिकार प्राप्त हैं इसलिए अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्रैक्टिस करें आपकी अधिकारिता पर कोई प्रश्नचिन्ह न लगावे इसलिए विधि सम्मत ढंग से ही चिकित्सा व्यवसाय करें विधि सम्मत ढंग से चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए जो निर्देश प्रदेश सरकार द्वारा जारी है उनका अनुपालन हम सब लोगों को करना चाहिये इसलिए हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्यचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अवश्य करना चाहिये जब हमने इस अभियान की शुरूआत की तो लोगों ने अपना समर्थन दिया परन्तु जब यह अभियान धरातल पर आया तो इस अभियान को सफ़ल बनाने वाले चिकित्सकों की संख्या पूरे प्रदेश के चिकित्सकों के हिसाब से नगण्य सी है। जब बोर्ड द्वारा इस पर गम्भीर चिन्तन किया गया तो यह पाया गया कि हो सकता है कि चिकित्सकों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के बाबू पंजीयन का फार्म न दे रहे हों ! हो सकता है कि यह भी सम्भव हो कि चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाबू इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हों ! इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्राप्त अधिकारों के बारे में अनभिज्ञता जता रहे हों, यह भी सम्भव है कि स्पष्ट निर्देश न पाने का बहाना भी बना रहे हों !!! इन्ही सब पहलूओं पर गम्भीरता से चिन्तन के बाद बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 ने 4 पृष्ठ का एक फार्म छापा जिसमें प्रथम पृष्ठ पर पंजीयन का प्रोफार्मा दूसरे,तीसरे और चौथे पृष्ठ पर प्रदेश सरकार का आदेश, भारत सरकार का आदेश, प्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के सन्दर्भ में चिकित्सा महानिदेशक द्वारा जारी पत्र छापे गये अन्त में अगर चिकित्सकों के मन में किसी तरह की कोई भ्रांति हो तो उसके समाधान के लिए बोर्ड के विधि सलाहकार का नाम पता मय टेलीफ़ोन के छापा गया और इस फार्म के साथ शपथपत्र का नमूना भी छापकर संलग्न किया गया अब इन 6 पृष्ठ के फार्म को प्रदेश के लगभग हर पंजीकृत चिकित्सक के पास डाक द्वारा प्रेषित किया गया। साथ–साथ जो मोबाइल नं0 हमारे साथ उपलब्ध थे उन नम्बरों पर संदेश के माध्यम से सूचना भी दी गयी पर परिणाम के नाम पर मात्र उंगलियों मे गिनने वाली संख्या में चिकित्सकों ने अपने आवेदन प्रेषित किये।

यह है हमारी जागरूकता का जीता जागता नमूना यह प्रसंग हम यहां पर इसलिए उद्धत कर रहे हैं क्योंकि पूरे प्रदेश का चिकित्सक टेलीफोन पर सवाल करता है कि कुछ नया हुआ क्या ?नये की तलाश में हम रोज़ रहते हैं जो हमें मिला है उसे हम कितना सहेज कर रख पा रहे हैं इसका उत्तर कोई और नहीं हम सबके पास है अधिकार सब चाहते हैं पर कर्तव्यों के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं जबकि यह कटु सत्य है कि बिना कर्तव्यों के अधिकारिता का आनन्द कोई नहीं ले सकता। जैसे मताधिकार का अधिकार सबको प्राप्त है परन्तु यदि मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा तो उसे मतदान का सुख कैसे प्राप्त होगा ? वर्ष 2015 समाप्त है लेकिन हमारे चिकित्सकों की मनोदशा में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है इसपर हर चिकित्सक को व्यक्तिगत हितों के लिए चिन्तन करना चाहिये पैथी के लिए न सही कम से कम अपने जिन्दा रहने के लिए तो कार्य करना चाहिये, जिन्दा आप तभी रहेंगे जब अपने कर्तव्यों को समझेंगे और ईमानदारी से कार्य करेंगे हम यह नहीं कहते हैं कि कर्तव्यों को समझने वालों की संख्या नहीं है कर्तव्यों के बारे में सब जानकार हैं लेकिन कर्तव्यों के लिए इतने उदासीन क्यों हैं ?इसका जवाब शायद वही दे सकते हैं जो उदासीनता दिखा रहे हैं संस्थायें आपके हित का कार्य करती हैं और करती भी रहेंगी लेकिन उन कार्यों का क्या परिणाम ?जिसका आनन्द वे लोग न उठावें जिनके लिए कार्य किया जाता है।

इसलिए आप सबसे एक बार पुनः निवेदन है कि यदि वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए आपके मन में विचार है तो इस विकास के लिए आपको संघर्ष नहीं करना है सिर्फ़ काम करना है क्योंकि कार्यों को बहुत दिनों तक उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, हर कार्य का अपना महत्व होता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में आज जिस बात की आवश्यकता है वह है प्राप्त अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो और उस जागरूकता के आधार पर कार्य किये जायें जिससे कि जो कुछ हमने खोया है वह आने वाले वर्षों में पूरा कर लें।

ऐसा होगा इसके प्रति हम सब आशावान हैं।

यही आज की मांग है।

समय तू धीरे – धीरे चल

समय की गति निश्चित होती है वह अपने हिसाब से चलता है न रूकता है, न ठहरता है, न किसी का इन्तेज़ार करता है अपनी गति से चलता जाता है–चलता जाता है बहुत पहले दूरदर्शन में एक धारावाहिक आया करता था जिसमें सूत्रधार कहता था मैं समय हूँ समय की गति नियत होती है और सत्य भी है कि समय को न कोई बदल सका है और न ही उसमें कुछ जोड़ सका है यह सब तो ठीक है लोगों का समय बनता भी है बिगड़ता भी है मेरे मन में बार–बार यह विचार आता है कि देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों का समय कब बदलेगा ? क्योंकि बहुत दिनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी न बढ़ रही है और न ही आगे की तरफ़ चल रही है। क्या समय का सारा चक्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए ही है ? अब समय बदलना बहुत जरूरी है क्योंकि जब समय बहुत दिनों तक एक ही तरह का रहता है तो मन में एक तरह की कुंठा जन्म ले लेती है कुंठाग्रस्त व्यक्ति से कभी भी प्रगति की उम्मीद नहीं करनी चाहिये प्रगति के लिए कुंठा और अवसाद से बाहर निकलना होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का समय कब अच्छा रहा ?

अगर हम इसकी कल्पना करते हैं तो वर्तमान बुरा लगने लगता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वह स्वर्णिम काल खण्ड कब वापस आयेगा यह अभी कल्पना मात्र है, जो दिन गुज़र गये उनसे हमने कोई सीख नहीं ली और उसी का परिणाम है कि आज जो कुछ भी है जो व्यक्ति या समाज समय के साथ नहीं चलता समय उसे बहुत पीछे छोड़ देता है और कभी–कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वह व्यक्ति और वह समाज जिसने समय का अनुसरण नहीं किया वह किवदन्तियों में भी नहीं सुनायी देता है। इसलिए समय के साथ चलो समय की मांग पूरी करो आज समय की मांग है कि अधिक से अधिक कार्य किया जाये और इसी कार्य के आधार पर अच्छे भविष्य की नीवं रखी जाये। आज के समय मे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध है बस आवश्यकता है कि हम इस वातावरण का सदुपयोग कर पावें ऐसा नहीं है कि यह कार्य कठिन है जरूरत है सिर्फ प्रबल इच्छा शक्ति की पहले हम अधिकारों के लिए संघर्ष करते थे आज इन अधिकारों के उपयोग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों बातों में बहुत अन्तर है लेकिन दोनों ही बातों का अपना महत्व है व्यक्ति जिस समय में जी रहा होता है उसे उसी समय की कसौटी पर सही साबित करना होता है आज से 50–60 साल पहले का समय कुछ और था आज समय में मूलभूत परिवर्तन आ चुका है रोज़ नित नये अन्वेषण हो रहे हैं, पुरानी चीजें धीरे–धीरे लुप्त हो रही हैं, नई चीजें और नई व्यवस्थायें आकृति ले रही हैं, हमें इन्हीं आकृतियों के अनुरूप चलना होगा कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि टाइप राइटर और हाथ की घड़ी जैसी वस्तुएं भी अपनी प्रासंगिकता खो देगीं आज इन्हीं वस्तुओं का स्थान लैपटाप और मोबाइल ने ले लिया है ठीक इसी तरह जिन पद्धतियों ने विकास का रास्ता नहीं अपनाया या विकास के रास्ते पर नहीं चली या तो वह लुप्त हो रही है या फिर उनके अनुयायी कम हो रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी इससे इतर नहीं है 1865 में इस पद्धति के जन्मदाता काउण्ट सीज़र मैटी ने जिन औषधियों की रचना की थी उन मूल औषधियों पर कितना कार्य हुआ है ? यह कार्य करने वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं 1865 से 2015 यह चिकित्सा पद्धति के अन्वेषण का 150 वाँ वर्ष है, 150 वर्ष में पीढ़ियां बदल जाती हैं लोगों की सोच बदल जाती है, लोगों के काम करने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है, पर हम कहाँ हैं ? इसका निर्णय हमें स्वयं लेना है, समय किसी के लिए ठहरता नहीं है हम भले ही यह गुनगुनाते रहें और यह कामना करते रहें कि''समय तू धीरे–धीरे चल सारी दुनिया छोड़कर पीछे आगे जाऊ निकल'' यह आगे निकलने की भावना तो ठीक है लेकिन इस तेज़ रफ़्तार युग में जहां बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है वहां हम अभी कछुए और खरगोश की कहानी पर अटके हुए हैं तर्क देने वाले मेरे इस वाक्य पर तत्काल टिप्पणी देंगे कि बहुत तेज़ दौड़ने वाला मुहँ के बल गिरता है ! यह वाक्य सही है परन्तु उनको यह भी याद रखना चाहिये कि गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में जो जंग में कूदेगा ही नहीं उसे युद्ध के बारे में क्या अनुभव होगा ?इलेक्ट्रो होम्योपैथी यदि वास्तव में विकसित करना है तो समय की मांग के अनुसार युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिये। इनमें भी यदि हमने किन्तु और परन्तु की शर्त लगायी तो हम यही मुखड़ा दोहरायेंगे कि दिन महीने साल गुज़रते जायेंगे उनको तो गुज़रना ही है परन्तु बिना परिणाम के गुज़रे हुए दिनों का अर्थ क्या ?एक सीधा सादा सा सवाल मन में बार–बार कौधंता है कि एक लम्बे संघर्ष के बाद सुनियोजित सयमित तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लड़ाई के लड़ने के बाद 4 जनवरी, 2012 को जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उसका हम सब कितना लाभ उठा पा रहे हैं ?यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब लोगों को स्वीकारना ही होगा 2004 से 2012 तक का समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपना एक अलग स्थान रखेगा क्योंकि यही वह समय है जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मज़बूत करने की राह दिखायी, यदि 25 नवम्बर, 2003 के आदेश का गलत अर्थ न निकाला गया होता और पूरे देश

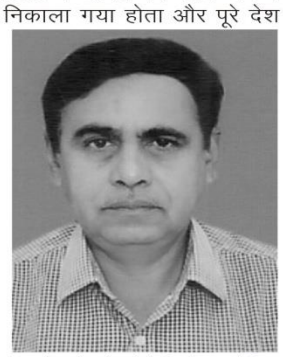

में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अघोषित बन्दी की स्थिति न आयी होती तो शायद आज जो शासकीय आदेशों का आनन्द हम ले रहे हैं वह न उठा पाते, काम चल रहा था कहीं पर कोई परेशानी नहीं थी अगर किसी राज्य में कोई परेशानी जन्म लेती थी तो न्यायालय से स्थगन आदेश लाना एक प्रक्रिया बन गयी थी। यद्यपि यह जरूरी भी था क्योंकि न तो राज्य सरकारें और न ही केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई सकारात्मक कदम उठा रही थी सिर्फ़ न्यायालय ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जीवन दान प्रदान कर रहा था। 18 नवम्बर, 1998 का दिल्ली हाईकोर्ट का वह एतिहासिक आदेश जिसके लागू होते ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती लेकिन सरकारों के कान में जूँ नहीं रेंगी इसके कुछ दोषी हम सभी हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्वयंभू पथ प्रर्दशक हैं वह कल भी दिशा भ्रमित थे और आज भी हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि 18 नवम्बर, 1998 को न्यायालय द्वारा जो निर्देश जारी किये गये हैं उनको अपने–अपने राज्यों में लागू करवाने का प्रयास किया जाता। इस मांग को तो किनारे रख दिया गया और मान्यता की मांग की जाने लगी, पता नहीं हमारे ये नेता गंण इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि मान्यता के लिए हम उसी कसौटी पर कसे जायेंगे जिस कसौटी पर वर्तमान प्रचलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां चल रही हैं हम इस कसौटी पर कहां तक खरे उतरते हैं यह सब जानते हैं। मान्यता की बड़ी लम्बी प्रक्रिया है इस मान्यता की आस में एक पीढ़ी तो बिदा हो गयी दूसरी पीढ़ी बूढ़ी हो रही है और जिन जवान कन्धों पर भविष्य की नींव है वह अभी से लडखड़ा रहे हैं ऐसी स्थिति में यदि हम समय को दोष देते हैं तो निश्चित मानिये कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं।

समय कल भी आपके साथ था आज भी आपके साथ है और कल भी आपके साथ रहेगा पर आप समय के साथ कितना रहते हैं ! इसका निर्णय आप स्वयं करेंगे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है समय आपके अनुरूप है बस जरूरत है तो सिर्फ़ अपने आप को समय के अनुरूप ढालने की एक दूसरे पर दोषारोपण से बेहतर है कि हम अपने आप पर भरोसा करें और स्वयं को कार्य के लिए समर्पित कर दें यदि ऐसा नहीं किया तो समय से बहुत पीछे रह जायेंगे, पीछे रहा व्यक्ति बहुत दूर तक साथ नहीं दे पाता इसलिए समय के साथ चलो समय को लेकर चलो और समय की गति को पहचानों तभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कुछ विकास हो सकता है हम इसमें तनिक भी संदेह नहीं करते कि आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्यार नहीं है आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए समर्पित हैं आपका हर सपना इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए है लेकिन इन सपनो को पूरा करने का अपका दायित्व है। और इस दायित्व को आप बाखूबी निभायेंगे भी यह हमें पूर्ण विश्वास है। धीरे – धीरे समय बीतता जा रहा है और हम समय के साथ चल नहीं पा रहे हैं इसीलिए लगातार पिछड़ते जा रहे हैं वैसे अभी कुछ खास बिगड़ा नही है सबकुछ अपने हाथ में है सिर्फ़ थोड़ी सी इच्छाशक्ति की जरूरत है यदि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है तो कुछ भी काम असम्भव नहीं होता है समय को हम अपने आप में बांध तो नहीं सकते हैं लेकिन समय के साथ तालमेल बिठा कर आगे बढ़ा जा सकता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आज की यही मांग है मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन के सन्दर्भ में हमने जो कुछ भी यहां उद्धृत किया यदि यही जागरूकता का नमूना है तो हम सबको इतना प्रयास करना होगा कि जागरूकता शत प्रतिशत बढ़ जाये मात्र पंजीयन की ही बात नहीं है हमारे चिकित्सकों के मध्य जागरूकता का कितना अभाव है इसका हम एक उदाहरण और प्रस्तुत कर रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत के समाचारों को और हर होने वाली नई पूरानी गतिविधियों को प्रमुखता के साथ गज़ट में प्रकाशित करते रहते हैं पिछले अंक में हमने चिकित्सकों की जानकारी के लिए कुछ नई बीमारियों के सन्दर्भ में नई जानकारियां हमारे चिकित्सकों को उपलब्ध हों इसी उद्देश्य से एक स्तम्भ प्रकाशित करना प्रारम्भ किया हमने अपने पाठकों से निवेदन किया कि इस अंक के बारे में अपनी राय अवश्य दें ताकि हम इस तरह की सामग्री नियमित रूप से प्रकाशित कर सकें इसे हम क्या कहें ? किसी भी पाठक ने इस बारे में आज तक कोई भी टिप्पणी नही की यहां यह सब लिखने का तात्पर्य यह है कि हमारा चिकित्सक इस कदर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गतिविधियों से अलग रहता है कि उसे कुछ परवाह ही नहीं है। जबकि यह जानकारी लगातार लेता रहता है कि नया क्या हुआ है ? हम उन चिकित्सकों से ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो चिकित्सक अभी तक जो प्राप्त है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे है तो नये का उपयोग क्या करेंगे ?

वैसे सत्य तो यह है कि जितना हमारे पास आदेश प्राप्त है यदि उसका ही सही उपयोग कर लिया जाये तो जितनी भी स्वनिर्मित परेशानियां आती हैं उनका शमन स्वतः ही हो जायेगा। पंजीयकरण के सन्दर्भ में पिछले अंक में पाठकों को बताया गया था कि लगातार यह कार्यक्रम अच्छे उद्देश्य की तरफ़ बढ़ रहा है जैसा कि हमें विश्वास है कि सफ़लता हमें निश्चित मिलेगी जब सफ़लता मिल जायेगी तो जो चिकित्सक आज पंजीयन से कतराते हैं वे कल क्या करेंगे ?

स्थितियों में तो कोई खास परिवर्तन तो होगा नहीं जो स्थिति आज थोड़ी घुमाव दार है वह सीधी हो जायेगी प्रयास तब भी हमारे चिकित्सकों को ही करना होगा आज भी प्रयास उन्हें ही करना है इसलिए जब सबकुछ चिकित्सकों को ही करना है तो इतनी उदासीनता क्यों ?अभी भी समय है समय रहते जागरूक हो जाइये और जागरूकता का परिचय देते हुए अपने दायित्वों के प्रति समर्पित हो जाइये जो समय आपने सोच विचार में गवायां है उस समय की भपराई तो नहीं कर सकते हैं लेकिन आने वाले समय को अच्छा जरूर बना सकते हैं हम यह कामना करते हैं कि वर्ष 2015 जिस तरह से गुज़रा उसकी तुलना में आने वाला वर्ष 2016 हम सबके लिए अच्छा हो, सुखद हो और नई आशाओं का संचार करे। इस वर्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने जन्म के 150 वर्ष पूरा कर रही है आने वाले दिनों में 4 जनवरी को अधिकारिता दिवस होगा और 11 जनवरी को महात्मा मैटी का जन्मदिवस मनाया जायेगा।

इन्ही सब अच्छी आशाओं के साथ नव वर्ष की मंगल कामनायें।

प्रतिबन्ध के बावजूद बँट रही हैं उपाधियां

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए समय–समय पर न्यायालयों के और शासन के आदेश आते रहते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विधिसम्मत ढंग से संचालित होते रहने में कोई बाधा नहीं है लेकिन इसका संचालन निश्चित मापदण्डों के अनुसार ही होना है। 18 नवम्बर, 1998 को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने अपने एक आदेश में यह निर्णय दिया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उपाधियां नहीं दी जायेंगी अर्थात बैचलर/मास्टर डिग्री नहीं दी जा सकतीं। भारत सरकार ने भी 25 नवम्बर, 2003 को अपने एक आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पूर्णकालिक डिग्री कोर्स नहीं चलाये जा सकते और न ही बैचलर या मास्टर डिग्री दी जा सकती है, 25 नवम्बर, 2003 के आदेश में डिपलोमा पर भी सहमति नहीं जतायी गयी है। इस तरह देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं द्वारा सिर्फ़ सार्टिफिकेट/प्रमाणपत्र कोर्स ही संचालित किये जा सकते हैं इस प्रतिबन्ध के बावजूद भी आज तक कुछ संस्थाओं द्वारा उपाधियों का वितरण जारी है जो कि माननीय न्यायालय व शासन के आदेशों की खुलेआम अवलेहना है। जो संस्थायें इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं उन्हें यह विचार करना चाहिये कि ऐसे उपाधि धारक चिकित्सकों का क्या होगा ?जबकि वैधानिक रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन में कोई समस्या नहीं है लेकिन इस तरह की गतिविधियां कभी भी समस्यायें पैदा कर सकती हैं अस्तु संस्थाओं को चाहिये कि वह हर पहलू पर विचार करके ही कार्य करें। पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें अविलम्ब ऐसे अवैधानिक कार्य से विरत हो जाना चाहिये। डा0 अतीक अहमद ने कहा कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए वह ऐसा कोई भी कार्य स्वीकार नहीं करेंगी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की छवि पर गलत प्रभाव डालती हो। उन्होंने ने कहा कि बोर्ड ने एक ऐसी टीम गठित की है जो पूरे प्रदेश के चिकित्सकों की चिकित्सा अभ्यास से सम्बन्धित गतिवि– धियों का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के बाद जिन चिकित्सकों को अन्य चिकित्सा पद्धतियो में लिप्त पाया जायेगा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी। इस आशय की सूचनायें बोर्ड द्वारा जारी की जा चुकी हैं।

प्रगति में बाधक है हमारा भय

इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रगति के लिए प्रयासशील है और हमारे साथी भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सर्वांगीण विकास हो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पास वह सबकुछ है जो एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के पास होना चाहिये इसके बावजूद भी वह प्रगति नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिये जब इस विषय पर विभिन्न कोणों से विचार किया जाता है कि आखिर वह कौन से तत्व हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में बाधक हैं ?समीक्षा के बाद एक तथ्य उभर कर सामने आता है वह यह है कि विकास का सबसे बड़ा बाधक तत्व है हमारा खुद का भय यह सर्वविदित है कि भय और प्रगति का कभी भी सार्थक सम्बन्ध नहीं रहा है पुरानी कहावत है कि जो डर गया व मर गया वहीं दूसरी तरफ़ कहा जाता है कि डर के आगे जीत है इसलिए यदि हमें विजय प्राप्त करनी है तो हमको अपने डर पर विजय प्राप्त करना होगा,चूंकि अनावश्यक भय हमारे कार्य में बाधक बन कर हर दम सामने आता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि सबकुछ प्राप्त हो जाने के बावजूद भी हमारा चिकित्सक पता नहीं क्यों अभी भी किसी आन्तरिक भय से भयग्रस्त है ! इसके दो ही कारण हो सकते हैं या तो वह अपने अधिकारों को समझता नहीं है या फिर उसे अपने अधिकारों के प्रति भरोसा नहीं है इसलिए विश्वास होना बहुत आवश्यक है सामान्तयः भय तीन तरह का होता है प्रथम वह होते हैं जो जिस कार्य में जिस तरह के लगे होते हैं वह उसी में प्रसन्न रहना चाहते हैं परिवर्तन के नाम से कुछ नया करने से घबराते हैं ऐसे व्यक्ति न तो अपना विकास कर सकते हैं और न ही चिकित्सा पद्धति का कल्याण, दूसरे वह व्यक्ति होते हैं जो भय से निकलने का प्रयास तो करते हैं लेकिन इस बात से भयभीत हो जाते हैं कि कहीं नये कदम उठाने से उन्हें कोई आर्थिक नुकसान न हो जाये ! दूसरा यह भी होता है कि 40 से 50 वर्ष तक जो जिस ढर्रे में लगा है वह अपने ढर्रे में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं अधिकारों को भी समझता है कर्तव्यों को भी समझता है लेकिन अनबूझ भय के कारण वह कदम आगे नहीं बढ़ा पाता है तीसरा भय व भय होता है जो समाज द्वारा फैलाया जाता है या फिर भयभीत व्यक्ति द्वारा प्रचारित किया जाता है कि यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप परेशानी में पड़ जायेंगे। इस तरह का भय सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है यह भय उस संक्रामक बीमारी की तरह है कि जिस पर यदि समय रहते नियन्त्रण नहीं किया गया तो यह महामारी का रूप ले लेता है कुल मिलाकर लिखने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सब वस्तुतः इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास चाहते हैं तो हमें अपने स्वनिर्मित भय से बाहर निकलना होगा कर्तव्यों का अधिकार पूर्वक निवारण भी करना होगा एक सामान्य चिकित्सक का यह कर्तव्य है कि वह तमाम तरह के भयों से बाहर निकल कर अधिकारिक रूप से प्रैक्टिस करने हेतु अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अवश्य प्रेषित करे इससे समाज में इन्हें सम्मान भी प्राप्त होगा और भयमुक्त होकर कार्य करने से कार्य में सुग्रहिता भी आती है। जो लोग यह मत रखते हैं कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मत वालों को वास्तविकता समझनी चाहिये और अनावश्यक भ्रम नहीं पैदा करना चाहिये बल्कि जहां कही भ्रम की स्थिति है उससे यथा सम्भव दूर करने का प्रयास करना चाहिये। यह कार्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चिकित्सा पद्धति के लिए उपयोगी भी है।

नया वर्ष 2016 आपके स्वागत के लिए तैयार है हम कुछ करें या न करें यह संकल्प जरूर लें कि स्वयं भयमुक्त होंगे और दूसरो को भी भयमुक्त करेंगे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी 150 .... प्रथम पेज से आगे

स्थित है। भारत से लगे हुए देश पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, मारिशस व वेस्टइण्डीज़ के कई देशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपनी उपस्थिति दर्शाती है लंदन,बरिमिघंम व आस्ट्रलियी देशो में इलेक्ट्रो होम्योपैथी संचालित हो रही है। यह तो रही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रसार की बात लेकिन सबसे ज्यादा कार्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में सिर्फ भारत वर्ष में हो रहा है आज भारत वर्ष के सभी प्रान्तो और केन्द्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जडे बहुत मजबूत है और यह मजबूती धीरे – धीरे बढ़ती ही जा रही है चूंकि भारत वर्ष में किसी भी चिकित्सा पद्धति को संचालित होने के लिए शासकीय अनुमति का होना बहुत आवश्यक है जबकि विश्व के अन्य देशो में ऐसा नहीं है। भारत वर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बार – बार परीक्षायें देनी पड़ी है और हर परीक्षा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी खरी भी उतरी है भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने में बहुत सारे संगठनो का योगदान है हर संगठन ने अपने अपने हिसाब से इस चिकित्सा पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया के अथक प्रयासों से 21 जून,2011 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक आदेश पारित किया है। इसी के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए शासनादेश जारी किया है यह एक उपलब्धि है हमें आज यह सोचने की जरूरत नहीं है कि इन 150 वर्षो में हमने क्या खोया और क्या पाया बल्कि हमें सिर्फ यह ध्यान देना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इस कदर आगे बढ़ाया जाये कि यह चिकित्सा पद्धति अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति की भांति फलेफूले और जन विश्वास हासिल करें। किसी भी चिकित्सा पद्धति की सफलता उम्र से ज्यादा उसके कार्य पर होती है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जो भी समर्थक है वे पूरे मनोभावो से व पूरी अधिकारिता के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास लग जाये और विश्व के पटल पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वह ऊचाईयां प्राप्त करें जिसकी वह अधिकारी है। हम वर्ष 2016 में यह संकल्प लें आने वाले वर्षो में इतना काम किया जायेगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी भी चिकित्सा पद्धति से पिछड़ी नहीं रहेगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और हर क्षेत्र में सम्भावनायें भी असीम है। 150 वर्ष का त्योहार पूरे देश में मनोयोग से मनाया जायें यही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति हमारा सच्चा प्रेम होगा।